संख्या-22/2015/982/35-3-2015-1(42) /2013

प्रेषक,

नवीन चन्द्र त्रिपाठी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बलरामपुर।

नियोजन अनुभाग-3 **लखनऊ: दिनांक: 21 जुलाई, 2015**

विषय: वर्ष 2013-14 में बार्डर एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम के अन्तर्गत वन विभाग की स्वीकृत परियोजनाओं की लागत का पुनरीक्षण ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रसंख्या 113/ बी.ए.डी.पी.-1 / 2013-14 दिनांक: 03 जून, 2015 के सन्दर्भ मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद बलरामपुर में शासनादेश संख्या- 2020 /35-3-2013 दिनांक: 18 दिसम्बर, 2013 के द्वारा स्वीकृत खण्डजा निर्माण की निम्नलिखित परियोजनाओं की लागत को एतदद्वारा निम्नवत पुनरीक्षित किया जाता है।

(**धनराशि लाख रू.)**

विकास खण्ड का नाम	क्र.स.	परियोजना का नाम	पूर्व अनुमोदित लागत	पूर्व मे कुल अवमुक्त धनराशि	पुनरीक्षित लागत	लम्बाई (कि.मी.)
		कार्यदायी संस्था- वन विभाग				
पचपेडवा	1-	डिवरहवा ग्राम से भौरीसाल तक खण्डजा निर्माण	29.91	29.91	46.34	3.0
पचपेडवा	2-	चन्दनपुर ग्राम से नरिहवां तक खण्डजा निर्माण	29.91	29.91	32.45	2.1
		योग	**59.82**	**59.82**	**78.79**	

1-सन्दर्भित शासनादेश दिनांक: 18 दिसम्बर, 2013 की शर्ते यथावत लागू रहेगीं ।

2-पूर्व मे अवमुक्त सम्पूर्ण धनराशि रू. 59.82 लाख का उपयोग कर उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त ही अतिरिक्त धनराशि देय होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3-अतिरिक्त धनराशि रू. 28.11 लाख की व्यवस्था हेतु जनपद द्वारा आगामी वार्षिक कार्य योजना वर्ष 2016-17 मे प्रावधान कराया जायेगा।

भवदीय,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

संख्या-22/2015/982(1)/35-3-2015-1(42)/2013 तद दिनांक

प्रतिलिपि: निम्नलिखित का सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन ।
2- प्रमुख सचिव, वन विभाग, उ0प्र0 शासन ।
3- मण्डलायुक्त, देवीपाटन मण्डल।
4- महालेखाकार, प्रथम(लेखा एवं हकदारी) इलाहाबाद, उ0प्र0 महालेखाकार, लेखा परीक्षा (प्रथम एवं द्वितीय) इलाहाबाद।
5- निदेशक,सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन,लखनऊ ।
6- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन , लखनऊ ।
7- अपर निदेशक, भूमि उपयोग परिषद को इस आशय से कि शासनादेश को विभागीय बेव साइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
8- कोषाधिकारी,बलरामपुर ।
9- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5/ वन अनुभाग-3 ।
10- उप निदेशक, (अर्थ एवं संख्या) देवीपाटन मण्डल ।
11- अर्थ एवं संख्याधिकारी, बलरामपुर ।
12- राज्य योजना आयोग-।
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(**नवीन चन्द्र त्रिपाठी**)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in